18.03.2021

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, जिन्होने इस मौजूदा प्रार्थनापत्र बाबत नवीन कायमी रास्ता में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन न्यायालय के समक्ष रखते हुए, प्रमाण में आदेशिका पर नोट–प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर अंकित किये।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थनापत्र को प्रार्थी पक्ष के नोट–प्रेस किये जाने से, इसी स्तर पर प्रत्याहृत किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner